



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012022-232746
CG-DL-E-19012022-232746

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]
No. 233]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 237(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 320D के कि.मी. 0/0 से 34/200 (जरेइकेला से धबलेस्वर सेक्शन) तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-320D पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब-कलेक्टर, पानपोष	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH320D	उड़ीसा	सुंदरगढ़	बिश्रा	1 बुढेलजोरे १६९
						2 बिश्रा टाउन १६८

		के कि.मी. 0 से 34.2 तक			राउलकेला	1 राउरकेला टाउन यूनिट न. ३५
--	--	---------------------------	--	--	----------	-----------------------------

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th January, 2022

S.O. 237(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders from Km. 0/0 to 34/200 (Jareikela to Dhabaleswar section) of NH-320D in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 320D in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub-Collector, Panposh	0KM. To 34.2KM.	ODISHA	SUNDARGARH	Bisra	1 Budheljore 169 2 Bisra town 168
					Rourkela	1 Rourkela town unit No. 35

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

RAJESH GUPTA, Director